दिल्ली विधान सभा सचिवलय समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों सें संबंधित सामान्य जानकारी)

मंगलवार 28 जनवरी , 2004 / माघ 8, 1925 (शक)

संख्या: 14

सदस्यों की नज़र बन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित पुलिस उपायुक्त, दक्षिण जिला नई दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है: -

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों डा. जगदीश मुखी और श्री रमेश विधूडी, को उनके समर्थकों सिहत दिनांक 28.1.2004 को अपराह्नन 1.42 बजे, पुलिस की विधि-सम्मत् निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण बिजली दफ्तर, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली से नज़र बंद किया गया ।

उन्हें उसी दिन अर्थात् दिनांक 28.1.2004 को अपराह्नन 3.23 बजे, रिहा कर दिया गया।"

सिद्धार्थ राव सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters) Tuesday, 28th January 2004 / Magha 08, 1925(Saka)

No. 14

DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from DCP, South Distt., Delhi:

"I have the honour to inform you that Dr. Jagdish Mukhi and Shri Ramesh Vidhuri, Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi along with their supporters were detained from BSES Head quarter, Nehru Place, New Delhi for disobeying the lawful direction of police at 01.42 PM on 28/01/2004.

They along with their supporters were released at 03.23 P.M. on the same day i.e. 28/01/2004."

SIDDHARATH RAO SECRETARY